

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 18/2019

1. भगवती प्रसाद पुत्र गोरीशंकर जाति जागिड निवासी ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र म्हादा
2. त्रिवेणी देवी पत्नी गोरीशंकर
3. चन्दा पुत्री गोरीशंकर जाति जागिड निवासी डूण्डलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू।
4. बिमला पुत्री गोरीशंकर जाति जागिड निवासी डूण्डलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू।
5. सीताराम पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति जागिड निवासीगण ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ।
6. कमल पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति जागिड निवासीगण ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ।
7. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्डुनू।

—प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी :- श्री प्रदीप कुमार झाडाडिया  
अधिवक्ता प्रतिवादीगण :- सम्पति सिंह शेखावत

दावा- स्थाई व्यादेश व विभाजन  
निर्णय


निर्णय दिनांक 09.01.2020

वाद वादीगण दिनांक 05.07.2019 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भूअ./2019/2694 दिनांक 15.12.2019 प्रस्तुत करने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम डूण्डलोद की भूमि ख.नं. 349/1.29, 357/2.10 किता 2 कुल रकबा 3.39 है० का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम डूण्डलोद की भूमि ख.नं. 349 रकबा 1.2900 किस्म बारानी प्रथम लगान 11.96 का सत्यनारायण पुत्र म्हादा जागिड सा.देह खातेदारी राहिन हिस्सा रकबा 1.1360 हैक्टर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डूण्डलोद मूर्तहीन काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम डूण्डलोद की भूमि ख.नं. 357मी. रकबा 1.1010 किस्म बारानी प्रथम लगान 10.21 का सीताराम, कमल पिता चुन्नीलाल हि.व. जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम डूण्डलोद की भूमि ख.नं. 357 रकबा 0.9990 किस्म बारानी प्रथम लगान 9.26 का भगवती प्रसाद पुत्र श्री गोरीशंकर जाति जागिड साकिन देह खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लेण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
श्री मुरारीलाल शर्मा ( आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा: बाबत घोषणार्थ व विभाजन अंधारा 88, 52 रा.का.अधि. 1955

मुकदमा सं०- 18/2019

(भगवती प्रसाद बनाम सत्यनारायण आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रुबरु श्री मुरारीलाल शर्मा ( आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी, वकील वादीगण मनजानिब मुददई रुबरु वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुददालय पेश होकर हुवम दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 09.01.2020 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम डूण्डलोद की भूमि ख.नं. 349/1.29, 357/2.10 किता 2 कुल रकबा 3.39 है0 का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

1. ग्राम डूण्डलोद की भूमि ख.नं. 349 रकबा 1.2900 किस्म बारानी प्रथम लगान 11.96 का सत्यनारायण पुत्र म्हादा जागिड सा.देह खातेदारी राहिन हिस्सा रकबा 1.1360 हैक्टर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डूण्डलोद मूर्तहीन काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम डूण्डलोद की भूमि ख.नं. 357मी. रकबा 1.1010 किस्म बारानी प्रथम लगान 10.21 का सीताराम, कमल पिता चुन्नीलाल हि.व. जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम डूण्डलोद की भूमि ख.नं. 357 रकबा 0.9990 किस्म बारानी प्रथम लगान 9.26 का भगवती प्रसाद पुत्र श्री गोरीशंकर जाति जागिड साकिन देह खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन \_\_\_\_\_ मुबलिग \_\_\_\_\_ बाबत \_\_\_\_\_ खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह \_\_\_\_\_ फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक \_\_\_\_\_ का अदा करे।  
बसकत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख, 09 माह 01 सन.2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

रूपये पैसे

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00

